



सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय फलौदी

रेल्वे स्टेशन के सामने, फलौदी, राजस्थान पिन-342301

E-mail-cmbpljrk.chc_phalodi@rediffmail.com, 02925-224610



क्रमांक :- 42

दिनांक :- 04/01/25

खुली बोली निविदा सूचना सं.- 13/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय फलौदी के अधीन संस्थान के आर.एम.आर.एस. खाते का सी.ए. अंकेक्षण जॉब बेसिस कार्य हेतु विनिर्दिष्ट बोलीदाताओं/संवेदकों(जो कि तकनीकी बिड अनुसार योग्यता रखते हों) के माध्यम से सम्पादन हेतु बोली आमंत्रित की जाती है।

NIB No. _____ UBN No. _____

क्रस	विवरण	अनुमानित लागत (लाख में)	निविदा शुल्क (रुपये में)	बोली प्रतिभूति राशि (2%) (रुपये में)	बोली प्रपत्र विक्रय प्रारम्भ की दिनांक	बोली प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम दिनांक व समय	तकनीकी बोली खोलने की दिनांक व समय
1	जिला चिकित्सालय फलौदी के अधीन संस्थान के आर.एम.आर.एस. खाते का सी.ए. अंकेक्षण जॉब बेसिस कार्य।	1.10 लाख	200	2200	04-01-25	13-01-25 11:45 AM	13-01-25 12:15 PM

- निविदा से सम्बन्धित नियम, शर्तें राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती हैं। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन/बदलाव का प्रकाशन केवल वेबसाईट पर जारी किया जायेगा समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।
- निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रुपये 200/- राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, फलौदी (Rajasthan Medicare Relief Society Phalodi) के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद द्वारा राशि जमा करानी होगी।
- बिड सिक्यूरिटी राशि (प्रतिभूति राशि रु 2200/- अक्षरे रुपये दो हजार दो सौ मात्र) राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, फलौदी (Rajasthan Medicare Relief Society Phalodi) के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद रूप में जमा करवानी होगा। उक्त सभी राशियों के डिमाण्ड ड्राफ्ट (मूल)/नकद भुगतान की रसीद तकनीकी बिड के संलग्न किए जाएंगे।
- उक्त निविदा में खुली बोली द्विप्रकर्म (तकनीकी व वित्तीय बिड) दो लिफाफा प्रणाली (ऑफलाइन) अपनाई गई है।

सचिव RMRS एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय फलौदी

क्रमांक :- 43-46

दिनांक :- 04/01/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट फलौदी।
- श्रीमान् संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-जोधपुर।
- एस.पी.पी. पोर्टल पर अपलोड हेतु।
- नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

सचिव RMRS एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय फलौदी



सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय फलौदी

रेल्वे स्टेशन के सामने, फलौदी, राजस्थान पिन-342301

E-mail-cmbpljrk.chc_phalodi@rediffmail.com, 02925-224610



तकनीकी बिड प्रपत्र
खुली बोली निविदा सूचना संख्या 13/2024-25

क्र.स.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्न हों/नहीं
1	सन्दर्भ क्रमांक, कार्य का नाम व अनुमानित लागत	खुली बोली निविदा सूचना सं. 13/2024-25 क्रमांक दिनांक			-
2	सम्बोधित	जिला चिकित्सालय फलौदी के अधीन संस्थान के आर.एम.आर.एस. खाते का सी.ए. अंकेक्षण जॉब बेसिस कार्य। अनुमानित लागत- लगभग 01.10 लाख रुपये।			-
3	बोली प्रस्तुत करने वाले संवेदक/फर्म का नाम, फर्म का प्रकार-Propertory/Partnership/ Company पता व मोबाईल नं.	सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, फलौदी	नाम		-
		फर्म का प्रकार	फर्म का प्रकार		
		पता	पता		
		प्रोपराईटर का नाम	प्रोपराईटर का नाम		
		मो.नं.	मो.नं.		
		ई-मेल आई.डी	ई-मेल आई.डी		
4	बोली पर हस्ताक्षर हेतु यदि किसी व्यक्ति को पृथक से अधिकृत किया गया हो तो विवरण व्यक्ति (यदि कोई हो, तो अधिकृति संलग्न करें, साझेदार फर्म के मामले में पावर ऑफ एटोर्नी संलग्न करें)	नाम			-
		मो.नं.			
5	फर्म के पार्टनरशिप का विवरण (यदि हो तो) पार्टनर्स का पूरा नाम एवं पता	नाम			-
		पता			
		मो.नं.			
6	बोली प्रपत्र विक्रय प्रारम्भ करने की दिनांक	04-01-2025			-
7	बोली प्रपत्र जमा प्रारम्भ करने की दिनांक	04-01-2025			-
8	बोली प्रपत्र विक्रय समाप्ति की दिनांक	13-01-2025			-
9	बोली प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम दिनांक व समय	13-01-2025 - 11:45 AM			-
10	तकनीकी बिड लिफाफा खोलने की दिनांक व समय	13-01-2025 - 12:15 PM			-
11	वित्तीय बिड (लिफाफा) खोलने की दिनांक व समय	तकनीकी बिड में योग्य संवेदकों को पृथक से सूचित किया जाएगा।			-
तकनीकी बिड में अर्हता हेतु आवश्यक दस्तावेज (क्र.स. 12 से 24) :-					
12	निविदा/बोली शुल्क	नकद रसीद सं. दिनांक			
		राशि रु. 200 अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट सं.			
		दि..... राशि रु. 200/- (दो सौ रु.)			
		Rajasthan Medicare Relief Society Phalodi के नाम Payable at Phalodi			
13	निविदा/बोली धरोहर राशि	नकद रसीद सं. दिनांक			
		राशि रु. 2200 अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट सं.			
		दि..... राशि रु. 2200/- (दो हजार दो सौ रु) Rajasthan Medicare Relief Society Phalodi के नाम Payable at Phalodi			



बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर



सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय फलौदी

रेल्वे स्टेशन के सामने, फलौदी, राजस्थान पिन-342301

E-mail-cmbpljrk.chc_phalodi@rediffmail.com, 02925-224610



क्र.स.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्न हों/नहीं
14	सनदी लेखाकार (CA) का ICAI द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र (स्व-हस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें)				
15	आधार कार्ड/चुनाव पहचान पत्र (स्व-हस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें)				
16	पैन कार्ड (स्व-हस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें)				
17	निविदा की समस्त शर्तें/नियम/निर्देश (Annexure-1) स्व-हस्ताक्षरित संलग्न करें।				
18	निविदा की विशिष्ट शर्तें (Annexure-2) स्व-हस्ताक्षरित संलग्न करें।				
19	Compliance of Tender Terms & Conditions (Annexure-3) स्व-हस्ताक्षरित संलग्न करें।				
20	Certificate of conformity/no deviation (Annexure-4) स्व-हस्ताक्षरित संलग्न करें।				
21	SR Form-11 (Annexure-5) स्व-हस्ताक्षरित संलग्न करें।				
22	विवेचित/ब्लेकलिस्टेड न होने सम्बन्धित प्रमाण-पत्र (Annexure-6) स्व-हस्ताक्षरित संलग्न करें।				
23	Annexure-A,B,C,D, Form No.-1 स्व-हस्ताक्षरित संलग्न करें।				
24	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत या उद्यम पंजीकरण या जी.एस.टी. पंजीकरण या अन्य पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र, मुहर सहित हस्ताक्षर प्रमाणित प्रति संलग्न करें) व्यक्तिगत आवेदन में आवश्यक नहीं।				
25	राजकीय संस्थानों/सोसाईटी खातों में की गई ऑडिट से सम्बन्धित अनुभव प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो)				
26	अन्य दस्तावेज (जो बिड अनुसार आवश्यक हो)				

उपरोक्त समस्त दस्तावेज एवं सम्पूर्ण बोली दस्तावेज के समस्त पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करें। प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा निविदा/बोली की समस्त शर्तों तथा संलग्न किये जाने वाले समस्त दस्तावेजों का भली-भाँति अवलोकन कर उन्हें पूर्ण रूप से समझ लिया गया है एवं निविदा की सभी शर्तें स्वीकार्य हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बोलीदाता का नाम :

मोबाईल नम्बर :

डाक का पता :

ई-मेल आई.डी.

टेलीफोन नम्बर (कार्यालय) : (घर) :





सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय फलौदी

रेल्वे स्टेशन के सामने, फलौदी, राजस्थान पिन-342301

E-mail-cmbpljrk.chc_phalodi@rediffmail.com, 02925-224610



खुली बोली निविदा सूचना संख्या 13/2024-25

Annexure-1

निविदा की शर्तें, नियम, निर्देश निविदादाता सावधानीपूर्वक पढ लेवें तत्पश्चात् ऑनलाईन निविदा प्रपत्र भरें।
शर्तें निम्नानुसार है :-

Important Instruction: The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012" [hereinafter called the Act] and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 [hereinafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal Therefore] the bidders are advised to acquaint themselves with the provision of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there in any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document] the provision of the Act and the Rules shall Prevail-

1. उपरोक्त निविदा पूर्णतया आवश्यकता पर निर्भर है। अनुबंध की दिनांक से कार्य पूर्ण होने तक अनुबन्ध एवं कार्यादेश मान्य होगा। न्यूनतम आदेश की कोई गारण्टी नहीं होगी। उपापन की मात्रा में कमी/वृद्धि की जा सकती है। उपापन नहीं किए जाने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।
2. खुली बोली निविदा में केवल वे सनदी लेखाकार (CA) जिनके पास वैध प्रमाण-पत्र हो, भाग ले सकेंगे।
3. सम्पूर्ण बोली दस्तावेज में संवेदक/आपूर्तिकर्ता से तात्पर्य सफल बोलीदाता से है जिसकी बोली राशि अनुमोदित होगी।
4. खुली बोली निविदा द्वारा बोली प्रस्तुत करने हेतु दो लिफाफा पद्धति का अंगीकरण किया गया है। प्रथम लिफाफा "लिफाफा सं. 01-तकनीकी बोली (निविदा सूचना सं. 13/2024-25)" नाम से अंकित होगा जिसमें तकनीकी बोली प्रपत्र एवं समस्त आवश्यक दस्तावेज (तकनीकी बिड प्रपत्रानुसार) मय मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद भुगतान रसीद संलग्न किए जाएंगे। दूसरा लिफाफा "लिफाफा सं. 02-वित्तीय बोली (निविदा सूचना सं. 13/2024-25)" नाम से अंकित होगा जिसमें केवल वित्तीय बिड प्रपत्र संलग्न किया जाएगा। दोनो लिफाफो पर फर्म का नाम व पता अंकित किया जाना चाहिए।
5. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निविदा फॉर्म ऑनलाईन डाउनलोड करने के पश्चात् विधिवत रूप से भरा जाएगा एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे। दोनो लिफाफे उपरोक्तानुसार पृथक पृथक तैयार कर सील बन्द किया जाएगा जिसे कार्यालय में सीलबन्द निविदा बॉक्स में निर्धारित अन्तिम दिनांक एवं समय तक जमा करवाए जा सकेंगे। अन्तिम दिनांक एवं समय के बाद बोली फॉर्म स्वीकार्य नहीं होंगे। बोली दस्तावेज बन्द लिफाफा यदि बोलीदाता द्वारा यथा-अपेक्षित सीलबन्द नहीं किये जाते है तो उपापन समिति इसके परिणामों के बारे में कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगी। केवल निर्धारित सीलबन्द बॉक्स में अन्तिम दिनांक एवं समय तक जमा किए जा चुके बोली दस्तावेज पर ही विचार किया जाएगा। विलम्ब से या व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई बोलियों स्वीकार नहीं की जाएगी।
6. उक्त सीलबन्द निविदा बॉक्स को निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधियों व उपापन समिति सदस्यों के समक्ष खोला जाएगा। निर्धारित दिनांक एवं समय पर कोई बोलीदाता/संवेदक अथवा उसका प्रतिनिधी उपस्थित नहीं होने पर उपापन समिति द्वारा बिना इन्तजार किए निर्धारित दिनांक एवं समय पर तकनीकी बोली लिफाफा खोला जाएगा। तकनीकी बिड में सफल (योग्य) बोलीदाता की ही वित्तीय बिड (वित्तीय लिफाफा) खोली जावेगी।
7. तकनीकी बोली मूल्यांकन की कसौटी:-बोलीदाता की तकनीकी क्षमता हेतु निम्न दस्तावेजों की मुहर सहित हस्ताक्षरित प्रतियाँ तकनीकी बिड लिफाफे में संलग्न की जाये :-

- तकनीकी बिड प्रपत्र।
- तकनीकी बिड प्रपत्र के क्र.स. 12 के अनुसार निविदा शुल्क का मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद रसीद, क्र.स. 13 के अनुसार धरोहर राशि का मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद रसीद तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा शुल्क व धरोहर राशि के अभाव में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड पर विचार नहीं किया जाएगा।



बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर



सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय फलौदी

रेल्वे स्टेशन के सामने, फलौदी, राजस्थान पिन-342301

E-mail-cmbpljrk.chc_phalodi@rediffmail.com, 02925-224610



- तकनीकी बिड फॉर्म के क्र.स. 14 से 24 में वर्णित समस्त पंजीकरण एवं आवश्यक दस्तावेज तकनीकी बिड के साथ संलग्न किए जाने अनिवार्य है।
 - तकनीकी बिड प्रपत्र व प्रपत्र के क्र.स. 12 से 24 में वर्णित समस्त दस्तावेज की जाँच करने के पश्चात् तकनीकी बिड में योग्य संवेदक की वित्तीय बिड खोली जाएगी।
- प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त दस्तावेज, प्रमाण-पत्र, घोषणा-पत्र आदि की पूर्ण रूप से शुद्धता एवं वैधता का उत्तरदायित्व सम्बन्धित बोलीदाता का होगा। दस्तावेजों में किसी प्रकार का गलत तथ्य प्रकट करने, कूटरचित/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने पर विधिक कार्यवाही हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेंगे। जाँच एवं निर्णय सक्षम स्तर पर किया जा सकेगा।
8. **वित्तीय बोली से सम्बन्धित शर्तें :- प्रस्तुत की जाने वाली दरें वित्तीय बोली प्रपत्र में दर्शायी गयी युनिट के अनुसार (1 वित्तीय वर्ष हेतु) रूपये में भरी जानी है, जिसे पूर्णांक में भरा जाना है।** प्रस्तुत दरों में समस्त प्रकार के खर्च एवं कर (जी.एस.टी. सहित) शामिल होंगे। कोई अन्य कर या प्रभार का भुगतान पृथक से नहीं किया जायेगा। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दरें शून्य/दशमलव/ऋणात्मक/प्रतिशत रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी। दर का कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाए। बोली राशि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं उसके शुद्धिकरण/स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में RTPP Act 2012, Rule 2013 के प्रावधान लागू होंगे। वित्तीय बोली प्रपत्र में त्रुटियाँ/उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जाए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर, फर्म की मुहर सहित किए जाने चाहिए। Whitener का उपयोग पूर्णतया निषिद्ध है।
9. **वित्तीय बोली मूल्यांकन की कसौटी :-** जिन बोलीदाताओं को तकनीकी बोली में योग्य पाया जाएगा उन्हीं की वित्तीय बोली खोली जाएगी। वित्तीय बोली खोले जाने की सूचना तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को पृथक से दी ई-मेल द्वारा दी जाएगी। ई-मेल आई.डी. उपलब्ध नहीं करवाने/पठनीय नहीं होने पर सूचना की जिम्मेदारी नहीं होगी। वित्तीय बोली में प्रस्तुत दरों का तुलनात्मक विवरण तैयार कर मूल्यांकन किया जाएगा। प्रस्तुत न्यूनतम बोली की दर का अनुमोदन किया जाएगा। न्यूनतम दर एक से अधिक बिडर की समान प्राप्त होने पर विभिन्न तथ्यों पर विचार कर इस सम्बन्ध में उपापन समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जिसके लिए उपापन समिति पूर्णतया स्वतंत्र रहेगी एवं उपापन समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा। किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है को स्वीकार करने/बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को रद्द करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखेगा।
10. **बोली दस्तावेज विक्रय एवं शुल्क/प्रतिभूति राशि :-** बोली दस्तावेज ऑनलाईन एस.पी.पी.पोर्टल राजस्थान पर विक्रय किये जायेंगे। ऑनलाईन बोलीफॉर्म डाउनलोड कर उपयोग में लेने पर निविदा शुल्क 200/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट Rajasthan Medicare Relief Society Phalodi के नाम, Payable at Phalodi अथवा नकद भुगतान 200/- करने पर नकद भुगतान की रसीद तकनीकी बिड प्रपत्र में संलग्न करनी अनिवार्य होगा। बोली शुल्क नॉनरिफण्डेबल होगा।
11. **निविदा बोली प्रतिभूति :-**
- 1- खुली निविदा के मामले में निविदा बोली प्रतिभूति राशि निविदा के लिये प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का दो प्रतिशत होगी।
 - 2- निविदा बोली प्रतिभूति बैंकर्स चैक या डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद भुगतान की रसीद के माध्यम से तकनीकी बिड से संलग्न कर जमा करवाना अनिवार्य होगा।
 - 3- असफल बोलीदाताओं की निविदा बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोलीदाता के द्वारा करार पर हस्ताक्षर, कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करवाने एवं निविदा की अंतिम स्वीकृति के शीघ्र पश्चात माँग पर कर दिया जाएगा।
 - 4- प्रतिभूति राशि पर संस्था द्वारा किसी भी प्रकार का ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - 5- सफल बोलीदाता की दशा में, निविदा प्रतिभूति की रकम कार्यसम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है, यदि सफल बोलीदाता पूर्ण कार्यसम्पादन प्रतिभूति पृथक से जमा करवा देता है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर



सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय फलौदी

रेल्वे स्टेशन के सामने, फलौदी, राजस्थान पिन-342301
E-mail-cmbpljrk.chc_phalodi@rediffmail.com, 02925-224610



- 6- अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई बोलियों के सम्बन्ध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा प्रतिभूति निक्षेप को नवीन निविदाओं के लिये प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा तथापि यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो प्रतिभूति को उपयोग में लिया जा सकता है।
12. निविदा बोली प्रतिभूति का समपहण (निविदा दाता से प्राप्त बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर ली जाएगी) :-
- 1- जब बोलीदाता बोली खुलने के पश्चात प्रत्याहृत या उपांतरित करता है।
 - 2- जब बोलीदाता प्रदाय आदेश के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार का निष्पादन नहीं करता है।
 - 3- जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट कालावधि के अनुसार माल/सेवा का प्रदाय का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
 - 4- जब बोलीदाता प्रदाय आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्यसम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करवाता है।
 - 5- यदि बोलीदाता अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट निविदा लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबन्ध को भंग करता है।
13. बोलीदाता को सफल पाए जाने पर नियमानुसार बंध-पत्र निष्पादित करना होगा एवं कार्यादेश मूल्य की 5 प्रतिशत (एवं समय-समय पर नियमानुसार वित्त विभाग द्वारा जारी संशोधित दर) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि इस कार्यालय में जमा करवानी होगी। कार्यसम्पादन प्रतिभूति पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारियों एवं उपापन समिति में निहित होगा। निविदा के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का उपापन समिति को सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा। किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उपापन समिति को होगा।
15. अनुबन्ध का निष्पादन:-
- 1-उपापन संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।
 - 2-सफल बोली लगाने वाले को 7 दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृत पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप में बन्ध-पत्र का निष्पादन करना होगा।
 - 3-यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है 7 दिवस के भीतर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगी। ऐसे मामलों में कार्यालय उपापन प्रक्रिया को रद्द कर सकेगा या उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगा।
 - 4-बोली लगाने वाले को, स्वयं के खर्च पर विनिर्दिष्ट मूल्य (पंजीयन मुद्रांक विभाग द्वारा निर्धारित राशि) के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा तथा उपापन संस्था को मूल अनुबन्ध पत्र उपलब्ध कराना होगा।
 - 5-अनुबन्ध का सम्पादन नहीं किये जाने पर निविदादाता को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जावेगी।
 - 6- निविदादाता अनुबन्ध के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :-
 - (I) भागीदारी फर्मों के मामलों में भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि।
 - (II) यदि फर्म, फर्मों के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत हो तो रजिस्ट्रीकरण क्रमांक और रजिस्ट्रीकरण का वर्ष
 - (III) एक मात्र स्वत्वधारित की दशा में निवास तथा कार्यालय का पता, टेलीफोन संख्यांक
 - (IV) कम्पनी की दशा में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण।



बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर



सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय फलौदी

रेल्वे स्टेशन के सामने, फलौदी, राजस्थान पिन-342301

E-mail-cmbpljrk.chc_phalodi@rediffmail.com, 02925-224610



16. कार्यसम्पादन प्रतिभूति :-

1-सफल बोलीदाता को अनुबन्ध निष्पादन के साथ कार्यादेश राशि का 5 प्रतिशत कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि जमा जरिए डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद रसीद के माध्यम से जमा करवानी होगी, जो कार्य के संतोषजनक पूर्णता, निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं होने, गारण्टी/वारण्टी बाध्यता, रख-रखाव, दोष दायित्व कालावधि पूर्ण होने के पश्चात् वापिस लौटा दी जावेगी। कार्यसम्पादन प्रतिभूति पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

2- किसी भी प्रकार की शास्ति/रिकवरी आदि कार्य सम्पादन प्रतिभूति से की जा सकेगी।

3- आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के नियम 75 एवं 75 ए के अनुसार अतिरिक्त कार्यसम्पादन प्रतिभूति के प्रावधान लागू होंगे।

17. कार्यसम्पादन प्रतिभूति का समपहरण :-

कार्यसम्पादन प्रतिभूति की राशि पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में अथवा यथावश्यक निर्णय पर समपहरण की जा सकेगी -

1- जब निविदा एवं अनुबन्ध के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

2- जब बोलीदाता सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

3- कार्यसम्पादन प्रतिभूति समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

18. भुगतान :-

1-कार्य पूर्ण कर समस्त अंकेक्षण रिपोर्ट, अन्य सहायक लेखे, अंकेक्षण सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज एवं प्राप्त किए गए समस्त मूल रिकॉर्ड पुनः आर.एम.आर.एस. शाखा में जमा करवाने के पश्चात् ही भुगतान देय होगा।

2-भुगतान हेतु बिल 3 प्रति में तैयार कर प्रस्तुत करना होगा। बिल सम्बन्धित लेखा शाखा प्रभारी एवं कार्यालयाध्यक्ष से प्रमाणित करवाना होगा किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।

3- बिलों में से आयकर टी.डी.एस, जी.एस.टी. टी.डी.एस. एवं अन्य कोई कटौति (जो भी नियमानुसार लागू हो) की जाकर भुगतान किया जाएगा।

4- देरी से भुगतान की स्थिति में बोलीदाता को किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा, ब्याज सम्बन्धित कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

19. परिनिर्धारित क्षति (Liquidate Damages) एवं शास्ति प्रावधान :-

परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन मूल्यों के लिये की जायेगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है :-

अ- विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये -2.5%

ब- विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के विलम्ब के लिये -5.0%

स- विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के विलम्ब के लिये -7.5%

द- विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिये -10.0%

टिप्पणी - (1) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम को छोड़ दिया जायेगा। (2) स्वीकार की गयी परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी। (3) यदि प्रदायकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत प्रदाय को पूरा करने के लिये समय में वृद्धि करने के लिये कहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा



बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर



सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय फलौदी

रेल्वे स्टेशन के सामने, फलौदी, राजस्थान पिन-342301
E-mail-cmbpljrk.chc_phalodi@rediffmail.com, 02925-224610



जिसने वह प्रदाय आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जायेगा न कि प्रदाय को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जायेगा। (4) यदि माल के प्रदाय में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो जो निविदादाता के नियन्त्रण से परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी के साथ या उसके बिना कर दी जायेगी। यहाँ माल से तात्पर्य माल/सेवाएँ दोनों से है।

20. **वसूलियों** :- परिसमापित नुकसान, शास्ति राशि, कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिलों में से की जायेगी। बोलीदाता कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द की गई वस्तुओं की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि बोलीदाता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसान के साथ वसूली देय राशि एवं विभाग/कार्यालय के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जावेगी। यदि वसूली करना सम्भव नहीं हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
21. **परिमाण में परिवर्तन का अधिकार :-**
 - 1- संविदा के अधिनिर्णय के समय निविदा दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल/सेवाओं के परिमाण में कमी/बढ़ोतरी की जा सकेगी।
 - 2- यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अथवा आवश्यकता नहीं/कम होने पर कोई वस्तु कम उपापन करती है अथवा उपापन नहीं करती है तो निविदादाता किसी प्रकार के दावे या प्रतिकार का हकदार नहीं होगा।
22. सत्यनिष्ठा की संहिता, हित का विरोध एवं उसे भंग करने पर लागू प्रावधान राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 04.02.2023 के अनुसार होंगे। इसके सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण-पत्र निविदा के संलग्न प्रस्तुत किए जाएंगे।
23. निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारियों एवं उपापन समिति में निहित होगा। निविदा के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का उपापन समिति को सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा। किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उपापन समिति को होगा।
24. **Risk & Cost :-** यदि सफल बोलीदाता कार्य को अथवा उसके किसी भाग को निर्धारित समयावधि में सम्पन्न नहीं करता है तो विभाग/कार्यालय को यह अधिकार होगा कि वे सफल बोलीदाता को कोई सूचना दिये बिना उसकी जोखिम पर आपूर्ति सम्पन्न करायी जायेगी। सफल बोलीदाता इसके परिणामस्वरूप विभाग/कार्यालय द्वारा किये जाने वाले समस्त खर्च एवं विभाग/कार्यालय की हानि की भरपाई के लिये उत्तरदायी होगा। सफल बोलीदाता के हर्जे-खर्चे एवं जोखिम पर कार्य कराते समय विभागीय प्राधिकारी नियमानुसार निर्णय लेगा।
25. अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत सफल बोलीदाता से जो भी वसूली बनती है, उसकी भरपाई यदि एक माह में नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली सफल बोलीदाता द्वारा जमा कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि में से तुरन्त कर ली जाएगी तथा यदि प्रतिभूति राशि से अधिक वसूली बनती है अथवा वसूली किया जाना सम्भव नहीं हो तो राजस्थान लोकमॉग अधिनियम (वसूली)-1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि कानून के अधीन कर ली जावेगी।
26. बोलीदाता राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, राज्य सरकार, वित्त विभाग व प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन, आदेश, निर्देश आदि की पूर्ण पालना करने हेतु बाध्य होगा, चाहे उसकी पूर्ण शर्तें बिड़ प्रपत्र में अंकित की गयी हो अथवा नहीं की गई हो।
27. बोली में भाग लेने व दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु यदि किसी व्यक्ति को अधिकृत किया गया है तो अधिकृति की प्रति संलग्न करनी चाहिए।
28. प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त दस्तावेज, प्रमाण-पत्र, घोषणा-पत्र आदि की पूर्ण रूप से शुद्धता एवं वैधता का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा। दस्तावेजों में किसी प्रकार का गलत तथ्य प्रकट करने, कुटर्चित/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने पर विधिक कार्यवाही हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेगे। जांच एवं निर्णय सक्षम स्तर पर किया जा सकेगा।



बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर



सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय फलौदी

रेल्वे स्टेशन के सामने, फलौदी, राजस्थान पिन-342301

E-mail-cmbpljrk.chc_phalodi@rediffmail.com, 02925-224610



29. फर्म आदि के गठन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना लिखित में ही दी जायेगी तथा इस परिवर्तन की संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।
30. बोली प्रारूप स्पष्ट रूप से भरा जाये तथा बोली की सभी शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जायें। समस्त बोली दस्तावेज संवेदक यदि एकल फर्म हो तो प्रोपराईटर, पार्टनरशिप हो तो समस्त पार्टनर्स के हस्ताक्षर किये जायें। यदि किसी व्यक्ति को हस्ताक्षर एवं बोली में भाग लेने हेतु अधिकृत किया जाए तो अधिकृति संलग्न करते हुए हस्ताक्षर किये जायें।
31. एक व्यक्ति से केवल एक बोली ही स्वीकार की जाएगी। चाहे वह व्यक्तिगत बोली हो या फर्म की बोली। सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
32. बोलीदाता को बिड में वर्णित समस्त प्रकार के घोषणा-पत्र/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।
33. निविदा खोलने की दिनांक को यदि अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जावेगी।
34. अंकेक्षण के दौरान यदि निविदादाता के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया निकाली जाती है तो उसकी पूर्ति उसके द्वारा की जायेगी तथा नहीं किए जाने की दशा में कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि से समायोजित की जायेगी अथवा नियमानुसार वसूल की जावेगी। यदि प्रतिभूति राशि लौटाने के पश्चात् अंकेक्षण बकाया निकलती है तो भी बकाया वसूली जमा करवाने हेतु सम्बन्धित संवेदक बाध्य होगा।
35. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (इस विभाग व बोलीदाता) द्वारा फलोदी में स्थित न्यायालय में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी। समस्त न्यायिक मामलों में न्याय क्षेत्र फलौदी (राजस्थान) होगा।
36. बोली में भाग लेने वाली एजेंसी/संवेदक राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।
37. किसी भी प्रकार का संशय हो तो कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तकनीकी बोली खुलने की दिनांक व उसके बाद किसी भी बिन्दु पर विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
38. विवाद की स्थिति में सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी जिला चिकित्सालय फलौदी का निर्णय अन्तिम होगी जो बोलीदाता को मान्य होगा।
39. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों, 2013 के प्रावधान प्रभावी होंगे।

मुझे/हमें उक्त समस्त शर्तें स्वीकार है। कृपया हमारी बोली स्वीकार करावें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर





सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय फलौदी

रेल्वे स्टेशन के सामने, फलौदी, राजस्थान पिन-342301

E-mail-cmbpljrk.chc_phalodi@rediffmail.com, 02925-224610



Annexure-2

निविदा की विशिष्ट शर्तें :-

खुली बोली निविदा सूचना संख्या 13/2024-25

1. वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक कुल 10 वर्ष का सी.ए. ऑडिट कार्य करवाया जाना है। जिसमें प्रत्येक वर्ष हेतु अंकेक्षण कार्य के साथ लाभ हानि खाता/प्राप्ति एवं भुगतान खाता, बैंक समाधान विवरण-पत्र, मदवार लेजर, अंकेक्षण रिपोर्ट एवं अन्य आवश्यक रिपोर्ट सहित पूर्ण कर उपलब्ध करवाने होंगे। समस्त अंकेक्षण रिपोर्ट एवं सहायक लेखे सनदी लेखाकार द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षरित करने होंगे।
2. निविदा में भाग लेने से पूर्व सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति आर.एम.आर.एस. शाखा में सम्पर्क कर अंकेक्षण कार्य के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं रिकॉर्ड का अवलोकन कर सकते हैं।
3. सफल बोली के अनुमोदन आदेश जारी होने के पश्चात् 7 दिवस के भीतर कार्य प्रारम्भ करना होगा एवं 03 माह के भीतर पूर्ण करना होगा। जाँच में समय लगने की स्थिति में समय की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए सचिव आर.एम.आर.एस. के द्वारा समय में अभिवृद्धि की जा सकेगी।
4. वित्तीय बोली प्रपत्र में उक्त कार्य हेतु दर प्रति 1 वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तुत करनी होगी।
5. अंकेक्षण के लिए आवश्यक रिकॉर्ड सफल निविदादाता के लिखित आवेदन पर उपलब्ध करवा दिया जायेगा लेकिन रिकॉर्ड की समस्त जिम्मेदारी सफल निविदादाता फर्म की होगी तथा संस्था को आवश्यक होने पर रिकॉर्ड वापिस लौटाना होगा।
6. निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर सम्बन्धित संवेदक फर्म/व्यक्ति की रिस्क एवं कॉस्ट पर सामान्य बाजार दरों पर कार्य करवाया जाएगा जिसमें अधिक हुए भुगतान का समायोजन सम्बन्धित संवेदक फर्म/व्यक्ति की कार्य सम्पादन प्रतिभूति से किया जाएगा।
7. बोली दस्तावेज एवं अन्य समस्त संलग्न पर मुहर सहित हस्ताक्षर/सेल्फ अटेस्टेड किए जाने चाहिए।
8. इस कार्य हेतु सी.ए. एवं उनके स्टाफ द्वारा सचिव आर.एम.आर.एस. जिला चिकित्सालय फलौदी द्वारा उपलब्ध करवाए गए कम्प्यूटर डेटा, टेली डेटा एवं राजकीय रिकॉर्ड की गोपनीयता एवं सुरक्षा बनाये रखनी होगी। बिना अनुमति किसी भी डेटा एवं रिकॉर्ड का उपयोग एवं प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा। राजकीय डेटा एवं रिकॉर्ड से छेड़छाड़/रद्दोबदल/धोखाधड़ी/दुरुपयोगी करने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा एवं नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
9. अंकेक्षण में नियुक्त कार्मिकों द्वारा विभाग के सामान/रिकॉर्ड/टेली डेटा को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाई जावेगी अथवा चुराई/नष्ट की जावेगी तो उसकी कीमत संवेदक फर्म/व्यक्ति से वसूल की जावेगी।
10. अनुबन्ध में किसी न्यायालय द्वारा राज्य सरकार/निम्न हस्ताक्षरकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार की डिक्री जारी की जाती है तो उस राशि का वहन अनुबन्धकर्ता को करना होगा। किसी भी प्रकार के कोर्ट से की स्थिति में चिकित्सालय प्रशासन को पक्षकार बनाया जाता है तो चिकित्सालय पर पड़ने वाला समस्त आर्थिक भार संवेदक फर्म/व्यक्ति से वसूला जायेगा।
11. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों, 2013 के प्रावधान प्रभावी होंगे।
मैं/हम कार्यालय सचिव RMRS एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय फलौदी द्वारा जारी की गई निविदा संख्या 13/2024-25 में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही है। यदि निविदा प्रक्रिया दौरान या पश्चात किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता अस्मिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिए हमारी निविदा/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरुद्ध कानून/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर





सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय फलौदी

रेल्वे स्टेशन के सामने, फलौदी, राजस्थान पिन-342301
E-mail-cmbpljrk.chc_phalodi@rediffmail.com, 02925-224610



Annexure-3

Certificate regarding compliance to Terms and Condition of Tender

To,

Secretary RMRS & PMO,
District Hospital Phalodi

Regarding NIB No. – 13/2024-25

I/We confirm that I/We are authorized to submit tender on behalf of the firm participating in the tender and have perused the entire Bid/Tender document including all its amendments till date.

Having perused the subject tender with all amendments (wherever applicable). I/We hereby confirm unconditional acceptance and compliance to abide by all its terms and conditions as mentioned in Bid/Tender document including technical particulars, Detailed technical specifications of the product/Service, Special Terms and Conditions and General Terms and conditions (included in all annexure of Bid Documents) wherever indicated, offer validity, Terms of delivery without any deviations whatsoever.

1. I/We also confirm acceptance of the all General Terms and Conditions of tender document.
2. I/We certified that the prices quoted against the tender are competitive and without adopting any unfair/unethical means in including cartelization.
3. I/We certified that tendering firm has not been banned by any Government Department of the State/Government of Inida/PSU/Local Bodies/Other Insitute from business dealings.
4. I/We also certified that the information given above is factually correct, true and nothing material has been concealed

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर





CERTIFICATE OF CONFORMITY/ NO DEVIATION

To

Secretary RMRS & PMO,
District Hospital Phalodi

Regarding NIB No. - 13/2024-25

CERTIFICATE

This is to certify that, the specifications of Goods/work/Service which are mentioned in the Technical bid, and We shall supply/Service if I/ We am/ are awarded with the work, are in conformity with the minimum specifications of the Tender/ bidding document and that there are no deviations of any kind from the requirement specifications.

1. I/ we have throughly read the tender/ bidding document and by signing this certificate,we hereby submit our token of acceptance to all the tender terms & conditions without anydeviations.
2. I/ We certify that the price I/ we have quoted is inclusive of all the cost factors involved in the end-to-end implementation and execution of the work, to meet the desired Standards set out in the Tender/ bidding Document.
3. I/We certify that the Goods and Services Tax (GST) will not to be charged more than what is payable under the provision of the relevant Act or the Rules made there under and billing will be done under the relevant HSN code.
4. I/We certify that the goods on which GST has been charged have not been exempted under the GST Act or the rules made there under and the charges on account of GST on these goods are correct under the provisions of that Act or the Rules made there under.
5. I/We certify that the Seller is registered with above indicated GSTIN as dealer in the State where in their Billing address is located for the purpose of GST.
6. I/We hereby certify that the rate offered in Financial Bid are reasonable and justified and we are not marketing lower rates to other department on condition of the tender and contract.
7. I/We will furnish the prescribed performance security amount of 5% (or as defined by FD GOR) on the total value of work order, within seven (7) days of the acceptance of my/our Bid and enter into agreement.
8. I/We will assure that I/We strictly abide by the terms and conditions of the Bid, agreement and the orders of concerned head of office from time to time.

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर





सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय फलौदी

रेल्वे स्टेशन के सामने, फलौदी, राजस्थान पिन-342301
E-mail-cmbpljrk.chc_phalodi@rediffmail.com, 02925-224610



Annexure-5

एस. आर. 11

—:निविदादाताओं द्वारा घोषणा:—

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/सेवाएँ के लिए निविदा दी है, उनका/उनके, मैं/हम बONAFAईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल विक्रेता/विपणन एजेन्ट/बONAFAईड सेवादाता हूँ/हैं। मैं/हम जिस माल/सामान/सेवा के लिए निविदा दी है की आपूर्ति/सेवा का कार्य वर्ष से कर रहा हूँ/रहे हैं। यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बोली दाता का नाम





सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय फलौदी

रेल्वे स्टेशन के सामने, फलौदी, राजस्थान पिन-342301
E-mail-cmbpljrk.chc_phalodi@rediffmail.com, 02925-224610



Annexure-6

मैं.....पुत्र श्री.....जाति.....
निवासी.....तहसील.....जिला.....
राज्य..... प्रो./पार्टनर मैं.....

यह प्रमाणित करता हूँ कि :-

1. यह है कि मेरी/हमारी फर्म को किसी भी राजकीय विभाग/उपक्रम/बोर्ड/निकाय/संस्था द्वारा विवर्जित/ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है।
2. यह है कि मेरी/हमारी फर्म पूर्व में भी किसी तरह से ब्लैक लिस्टेड से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा न ही किसी तरह से मैंने/हमने फर्म के नाम से गलत उपयोग किया है।
3. यह है कि बोली प्रक्रिया के निर्णय से संबंधित कार्मिकों/अधिकारियों तथा क्रय आदेश देने वाले अधिकारियों/कार्मिकों/लोकसेवकों/संविदाकार्मियों से मेरा/हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है एवं न ही मेरे/हमारे परिजन है।
4. यह है कि मेरे/हमारे या मेरी/हमारी फर्म के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित नहीं है एवं न ही किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है।
5. यह है कि बोली दस्तावेजों संलग्न प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त दस्तावेज, प्रमाण-पत्र, घोषणा-पत्र आदि की पूर्ण रूप से शुद्धता एवं वैधता का उत्तरदायित्व मेरा/हमारा स्वयं का है। दस्तावेजों में किसी प्रकार का गलत तथ्य प्रकट करने, कूटरचित/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं मेरी बोली को अस्वीकृत कर दिया जाए।
6. यह है कि मेरी/हमारी फर्म का अनुबंध समय से पूर्व समाप्त कर पृथक से बोली जारी की जाती हैं तो इस संबंध में मेरे/हमारे द्वारा कोई वाद/आपत्ति दर्ज नहीं की जावेगी।
7. यह है कि हमारी फर्म को किसी भी राजकीय विभाग/राजकीय संस्थान/निगम/बोर्ड आदि के द्वारा सामान/सामग्री की गुणवत्ता एवं सन्तोषप्रद आपूर्ति नहीं करने या संविदा में आवंटित कार्य (सर्विसेज) को सन्तोषजनक रूप से पूर्ण न करने के लिए कोई शास्ति आरोपित नहीं की गई है।
8. यह है कि मैंने/हमने सचिव आर.एम.आर.एस. एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय फलौदी द्वारा जारी बोली प्रपत्र की सभी शर्तें पढकर समझ ली है तथा मैं/हम इन समस्त शर्तों का पालन करने के लिए पूर्णतः सहमत हूँ/हैं एवं मुझे/हमें सभी शर्तें स्वीकार है। साथ ही यदि तकनीकी बोली में मैं/हम असफल रहता हूँ/रहते हैं तो मेरी/हमारी वित्तीय बोली नहीं खोली जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर





Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any Person Participating in a procurement process shall –

- not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation ;
- not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process ;
- not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or in directly, to any party or to its property to influence the procurement process ;
- not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- disclose conflict of interest, if any; and
- disclosed any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity;

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A. Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

- have controlling partners/ shareholders in common, or
- receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder; or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Good, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer – in – charge / consultant for the contract.

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर





सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय फलौदी

रेल्वे स्टेशन के सामने, फलौदी, राजस्थान पिन-342301
E-mail-cmbpljr.k.chc_phalodi@rediffmail.com, 02925-224610



Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid Submitted to Secretary RMRS and PMO District Hospital Phalodi for procurement of C.A. Audit Work of RMRS Account in response to their Notice Inviting Bids No. 13/2024-25. I/We hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act .2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Acts, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर





Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Joint Director, Medical and Health, Zone-Jodhpur.
The designation and address of the Second Appellate Authority is Director, Medical and Health, Jaipur.

- (1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.
- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
- (4) **Appeal not to lie in certain cases.**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

 - (a) determination of need of procurement;
 - (b) provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;
 - (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
 - (d) cancellation of a procurement process;
 - (e) applicability of the provisions of confidentiality;
- (5) **Form of Appeal**
 - (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
 - (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
 - (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.
- (6) **Fee for filing appeal**
 - (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non - refundable.
 - (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
- (7) **Procedure for disposal of appeal**
 - (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the may be, upon filing of appeal shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fixed date of hearing.
 - (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter;
 - (c) After hearing the parties, perusal or inspection of document and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority Concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
 - (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.



बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर



Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid this substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids of the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

a. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unite prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of the contract.

(ii) If the Procuring Entity Does not procure any subject matter of procurement or procures less then the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(ii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more then 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

b. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted



बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर



FORM No. 1

[See rule 83]

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012**

Appeal No
of.....

Before the (First /Second Appellate
Authority)

1. Particulars of appellant :
 - (i) Name of the appellant:
 - (ii) Official address, if any:
 - (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:

.....

.....

.....

.....

(Supported by an affidavit)

7. Prayer:
.....
.....
.....

Place:.....

Date:.....

Appellant's Signature

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर





सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय फलौदी

रेल्वे स्टेशन के सामने, फलौदी, राजस्थान पिन-342301
E-mail-cmbpljrk.chc_phalodi@rediffmail.com, 02925-224610



(लिफाफा सं. 02 वित्तीय बिड हेतु)

वित्तीय बोली प्रपत्र

खुली बोली निविदा सूचना सं. 13/2024-25

कार्य का नाम :- आर.एम.आर.एस. जिला चिकित्सालय फलौदी के खाते का वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक का सी.ए. अंकेक्षण कार्य मय अंकेक्षण हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं अंकेक्षण उपरान्त प्रस्तुत की जाने वाली समस्त आवश्यक रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुतीकरण सम्पूर्ण जॉब बेसिस कार्य।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	युनिट	बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दर कॉलम सं. 3 में अंकित युनिट के अनुसार रुपये (जी.एस.टी. सहित)	
			(अंको में)	(शब्दों में)
1	2	3	4	5
1	आर.एम.आर.एस. जिला चिकित्सालय फलौदी के खाते का वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक का सी.ए. अंकेक्षण कार्य मय अंकेक्षण हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं अंकेक्षण उपरान्त प्रस्तुत की जाने वाली समस्त आवश्यक रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुतीकरण सम्पूर्ण जॉब बेसिस कार्य।	01 वित्तीय वर्ष		

प्रस्तुत की जाने वाली दरें वित्तीय बोली प्रपत्र में दर्शायी गयी युनिट के अनुसार (1 वित्तीय वर्ष हेतु) रुपये में भरी जानी है, जिसे पूर्णांक में भरा जाना है। प्रस्तुत दरों में समस्त प्रकार के खर्च एवं कर (जी.एस.टी. सहित) शामिल होंगे। कोई अन्य कर या प्रभार का भुगतान पृथक से नहीं किया जायेगा। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दरें शून्य/दशमलव/ऋणात्मक/प्रतिशत रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी। दर का कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाए। बोली राशि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं उसके शुद्धिकरण/स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में RTPP Act 2012, Rule 2013 के प्रावधान लागू होंगे। वित्तीय बोली प्रपत्र में त्रुटियाँ/उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जाए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर, फर्म की मुहर सहित किए जाने चाहिए। Whitener का उपयोग पूर्णतया निषिद्ध है।

निविदा सूचना सं. 13/2024-25 की समस्त शर्तों, विशिष्ट शर्तों, उपबन्धों को स्वीकार करते हुए उक्त वित्तीय बोली प्रपत्र में राशि अंकित की गई है। सफल पाए जाने पर उक्त दर पर उक्त कार्य सम्पादन हेतु बाध्य रहेंगे/रहेंगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बोली दाता का नाम

पूर्ण पता

मोबाईल नम्बर

ई-मेल.....

